राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः—एफ.951 (19) (41)पराविं/लेखा/नि. आ./बजट घोषणा/2022—23/210 दिनांकः— 21-02-2023

:—अधिसूचनाः—

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व मे जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.951(19)(41)पराविं/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/सुविधा/623 दिनांक 07.04.2022 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य/जनप्रतिनिधियों को मानदेय एवं बैठक भत्तों की दरो में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दि. 10.02.2023 की बजट घोषणा के बिन्दु सं. 162 के क्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

मानदेय की दरें:—

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रू. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रू.प्रतिमाह
1.	2.	3.
जिला प्रमुख, जिला परिषद	12,000/—	13800/—
प्रधान, पंचायत समिति	8400/—	9660/—
सरपंच, ग्राम पंचायत	4800/—	5520

बैठक भत्तों की दरें:—

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय राशि दर रू	संशोधित बैठक भत्ता की दर रू.
1.	2.	3.
सदस्य,जिला परिषद	600/—	690/—
सदस्य, पंचायत समिति	420/—	483/—
सदस्य, ग्राम पंचायत	240/—	276/—

जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं बैठक भत्तों का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय—5) विभाग की आई.डी. संख्या 332300155 दिनाक 17.02.2023 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

यह आदेश दिनांक 01.04.2023 से लागू होगा।

राज्यपाल के आदेश से

(अभय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः—एफ.951 (19) (41)पराविं/लेखा/नि. आ./बजट घोषणा/2022 —23/210 दिनांकः— 21-02-23

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

\\10.68.40.57\Share Data\SHAMBHU SINGH\... 2023.docx522

4. निजी सचिव,शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5.निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त पंचायती राज विभाग।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज. जयपुर ।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय–5) विभाग, राज. जयपुर।
9. निदेशक वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
12. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
13. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, पंचायती राज विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राजस्थान गजट पत्र भाग–4 में कृपया तत्काल प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।

(देवकीनन्दन)
वित्तीय सलाहकार